

## फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत अतिरिक्त कलेक्टर (प्रशासन) मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)

श्री रामेश्वर लाल पिता गोटीलाल मेनारिया बनाम श्री लक्ष्मीलाल पिता चम्पालाल ब्राहमण,  
निवासी झांझलवास, तहसील झूंगला निवासी झांझलवास, तहसील झूंगला व अन्य

फिरम मुकदमा	नि.पं.	मुकदमा नम्बर	14	सन्	2017
तारीख हुक्म		हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज			नम्बर व तारीख इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.02.2019		पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी विपक्षीगण की तामील प्रस्तुत करने का अवसर चाहते हैं। पत्रावली का परिक्षण किया गया। वकील प्रार्थी को सम्मन प्रस्तुत करने हेतु अब तक 18 अवसर दिये गये हैं तथा दिनांक 16.02.2018 को चेतावनी के साथ अवसर दिया गया परन्तु आज दिनांक तक विपक्षीगण की तामील प्रस्तुत नहीं की है। अतः प्रकरण विपक्षीगण के सम्मन प्रस्तुत करने के अभाव में 09 R 05 CPC के तहत् वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।			